

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद / 2022(2022 / 106)

1. बसन्तकुमार पुत्र सत्यनारायण जाति माहेश्वरी
निवासी नुवालगली घण्टाघर के पास केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. मुकेश पुत्र बिरदीचंद रामकिशन जाति माहेश्वरी निवासी आदर्श कॉलोनी जयपुर रोड केकडी
तहसील केकडी जिला अजमेर।

— प्रार्थीगण

◆ वनाम ◆

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

— अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री नवल किशोर पारीक

पेसाकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश


दिनांक 30.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमावंदी संवत् 2069-72 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
121-518	1717	1.81	बाराणी 1
	कुल कित्ता 1	कुल रकबा 1.81	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते हैं जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढ़ी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 7.6.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।





उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्ट्रार किया गया। अग्रणी जिरमे पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जिरमे नोटिस तत्वच किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जिरमे रिपब्ली जिरमे बताया सख्तमन जमाबंदी प्रतिनिधि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है सजाहित प्रभावित नहीं है।

हमने पञ्चावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 मुंश प्रदि क तदनु स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके याम रणजीतपुरा तहसील केकडी क खाता सख्या नया पुराना 121-518 कें खसरा सख्या 1717, रकमा 181 हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कामिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विकल्प पञ्चावली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)
केकडी